

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम चमनपुरा तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 28 / 2016 राजस्व वाद

उनवान

1. रामेश्वर पिता बंशीलाल वैष्णव निवासी कजलोदिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादी)

बनाम

1. मोहन पिता बंशीदास वैष्णव निवासी कजलोदिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. लादु पिता बंशीदास वैष्णव निवासी कजलोदिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. गणपत पिता बंशीदास वैष्णव निवासी कजलोदिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. रामप्रसाद पिता बंशीदास वैष्णव निवासी कजलोदिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
5. कैलाश पिता बंशीदास वैष्णव निवासी कजलोदिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
6. रामकन्या बेवा बंशीदास वैष्णव निवासी कजलोदिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला—भीलवाड़ा

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री कृष्ण कुमार जीनगरवादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार


दिनांक– 13.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम चमनपुरा में वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। आज दिनांक 13.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम कजलोदिया पटवार क्षेत्र चमनपुरा तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी का हक हिस्सा प्रथक व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 को शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. रामेश्वर पिता बंशीदास वैष्णव सा0देह खातेदार मु0वि0क0 रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा बनेड़ा (वादी)

आ0न0	रकबा/किस्म	लगान
417/1	01-04	3.24
कुल 1	रकबा 01-04 बीघा	3.24

2. मोहन लादु गणपत रामप्रसाद कैलाश पिता बंशीदास ना0बा0 रामकन्या बैवा बंशीदास वैष्णव सा0देह खातेदार (प्रतिवादी)


उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज :

आ0न0	रकबा / किस्म	लगान
417	01-11	4.19
96	02-05	3.38
416	01-11	4.18
419	02-02	5.67
कुल 4	रकबा 07-09 बीघा	17.42

3. रामेश्वर पिता बंशीदास वैष्णव, मोहन लादु गणपत रामप्रसाद कैलाश पिता बंशीदास ना0बा0 रामकन्या बैवा बंशीदास वैष्णव सा0देह खातेदार रहन एस0बी0वी0जे0 शाखा बनेडा हि0रामेश्वर का

आ0न0	रकबा / किस्म	लगान
410	00-03	0.17
418	00-03	-
कुल 2	रकबा 00-06 बीघा	0.17

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 13.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम चमनपुरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा